मुकुल गोयल
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-34/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: सितम्बर 4, 2021

विषय–थानो पर साइबर काइम से बचाव एवं शिकायत पंजीकरण कराने सम्बन्धी हेल्पलाइन नम्बर की जानकारी हेतु बोर्ड लगवाने एवं साइबर नोडल अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जागरूकता की कमी के कारण आम जन साइबर काइम से ग्रसित हो रहा है तथा साइबर काइम से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ हुई घटना के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करानें में परेशान हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने जनपदों के प्रत्येक थानों में निम्न कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

- प्रदेश के प्रत्येक थानों पर साइबर अपराध की रोक सदृश्य स्थान पर एक फ्लैक्स बोर्ड लगवाया जायें, जिसमे साइबर काइम कीं रोकथाम सम्बन्धी बिन्दु व पीड़ित व्यक्ति के साथ साइबर अपराध घटित होने के पश्चात् उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए अंकित करें। फ्लैक्स बोर्ड में साइबर अपराध दर्ज कराने हेतु साइबर हेल्पलाइन नम्बर 155260, 112, वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के प्रयोग के सम्बन्ध में विवरण अंकित किया जाये तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु बैंक की गोपनीय जानकारी जैसे– ओटीपी, सीवीवी नम्बर, बैंक कार्ड नम्बर, इन्टेरनेट बैकिंग का आईडी एवं पासवर्ड साझा न करने व किसी अज्ञात के कहनें पर एनीडेस्क एवं क्यूएस एप के डाउनलोड न करनें हेतु सचेत करें। **उक्त फ्लैक्स बोर्ड संलग्न प्रारूप में बनेगा।**
- प्रदेश के सभी थानों पर डीजी परिपत्र संख्या 48/2019 में साइबर अपराध को नियंत्रण करने हेतु साइबर काइम टीम (CCT) बनाये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। उक्त टीम में नियुक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी को साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति की मदद व First Responder के रूप में **साइबर नोडल अधिकारी** नियुक्त करें। साइबर नोडल अधिकारी द्वारा साइबर अपराध पीड़ित व्यक्ति के थानें आने पर अविलम्ब उसकी समस्या सुनी जायेगी। तत्पश्चात् वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से सम्बन्धित प्रकरणों में साइबर **हेल्पलाइन नम्बर–155260** या पुलिस हेल्प लाइन नम्बर 112 पर अविलम्ब पीड़ित से फोन कराकर उसकी शिकायत नियमानुसार दर्ज कराने में सहायता की जायेगी। उक्त नोडल अधिकारी द्वारा साइबर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत आनलाइन एनसीसीआरपी की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर भी करायी जायेगी तथा सीसीटी प्रभारी व थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशो का पालन करने से, बढते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

भवदीय

(मुकुल गोयल)

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 (नाम से)
समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 (नाम से)

<u>प्रतिलिपिः—</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

- साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर-155260 / 112 पर दें जिससे धनराशि खाते में होल्ड करायी जा सके।
- साइबर अपराध, एनसीआरपी पोर्टल की वेबसाइट-www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।
- खाते मे के0वाई0सी0 अपडेट कराने के लिए बैंको द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी / ओटीपी/ सीवीवी/ पिन नम्बर नहीं मांगी जाती है।
- किसी के कहने से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें।
- किसी भी बेवसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जनकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह जाँच लें।
- ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों व सरकारी विभाग/ कम्पनियों के कस्टमर केयर का नम्बर आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें।
- अज्ञात व्यक्ति/ अज्ञात मोबाइल नम्बर द्वारा भेजी गयी लिंक को क्लिक न करें।
- सरकारी उपक्रम, वेबसाइट या फण्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही वित्तीय लेनदेन करें।
- किसी से पैसा प्राप्त करते समय अपनी यूपीआई आईडी /पासवर्ड न डालें, पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नही होती है।
- वॉलेट अपडेट और केवाईसी नजदीकी ऑथराइज्ड सेन्टर पर जाकर ही करायें।
- अपने सोशल एकाउन्ट व बैंक खातो का पासवर्ड स्ट्रांग बनायें, जिसमे नम्बर, अक्षर व चिन्ह तीनो हो, साथ ही टू-स्टेप-वेरीफिकेशन लगाये रखे।